IEDUP

17/6 MASTER Copy

चैप्टर – 01

रूग्ण इकाईयों का पुर्नवासन, रोकथाम एवं एक्जिट पॉलिसी--2014

(Rehabilitation of Sick Units, Prevention & Exit Policy-2014)

रूग्ण इकाईयों की संख्या एवं पुर्नवासन योग्य इकाईयों की स्थिति

पूरे प्रदेश में रूग्ण इकाईयॉ फैली हुयी हैं। इन रूग्ण इकाईयों में निवेशित बड़ी धनराशि Blocked है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 18969 इकाईयॉ रूग्ण हैं तथा कुल रूपये 69202 लाख की धनराशि Blocked है। जिसका विवरण निम्नलिखित सारिणी में दर्शाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कुल रूग्ण इकाईयों में से मात्र 1381 रूग्ण इकाईयॉ ही पुर्नवासन योग्य हैं।

(Rs. In Lakh)

Potentially Viable	Potentially Non-Viable	Total Sickness		Viable Units Under Nursing
No. of units	No. of units	No. of units	Amount	No. of units
1381	16932	18969	69202	78

स्त्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक, दिसम्बर 2013 तक

रूग्णता के कारण, संकेत तथा पहचान

(स्त्रोतः– सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अध्ययन रिपोर्ट)

रूग्णता एवं उधारकर्ता का व्यवहार

वास्तव में कोई भी इकाई एकाएक रूग्ण नहीं होती है। रूग्ण होने के पूर्व यह कई स्तरों से गुजरती है। बैंकों के अनसार प्रायः समस्त ऋण निरन्तर एवं ठीक होते हैं जब इकाई का ऋण स्वीकृत किया जाता है। किन्तु व्यवसाय के व्यवहार में अनिश्चितता एवं मौसमी व्यवसाय होने के फलस्वरूप इकाई का ऋण खाता निम्न स्तर पर परिचालित होने लगता है। इन कारणों के फलस्वरूप इकाई की नगदी अथवा ओवरड्राफ्ट अनियमित हो जाता है। प्रायः यह अनियमित तथा अस्थायी होती है, तथा बैंक इन परिस्थितियों में यह आशा रखता है कि अनियमिता कुछ समय के लिए ही है। साधरणतया यह अनियमितता कच्चेमाल की अनुपलब्धता, कारीगरों की हड़ताल, विद्युत कटौती, कार्यशील पूंजी की कमी, मशीन का खराब होना, आदेशों का रिजेक्शन अथवा विलंब से बिलों का समायोजन होना होता है।

यदि उपरोक्त अनियमितता लगातार एवं लम्बे समय तक स्थिर बनी रहती है तथा इकाई अपने ब्याज का भुगतान नहीं कर पाती है। ऐसी दशा में भी बैंक अपने ऋणकर्ता को सहयोग देने को तत्पर रहता है यदि (1). उधारकर्ता की साख बनी रहती है, (2). इकाई के जीवित होने का अवसर बना रहता है, क्योंकि इकाई अभी भी Feasible है।

सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति में पुर्नवासन की सम्भावनायें बनी रहती हैं। पुर्नवासन से इकाई पुनः स्वस्थ्य हो जाती है।

रूग्ण होने के कारण

रूग्णता के कारणों को औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि के अनुसार देखने पर विकास एवं घटाव दोनो ही अपना प्रभाव एक समय के भीतर दर्शाते है। किसी भी एक बिन्दु पर इकाईयों की समस्याऐं एक जैसी नही होती है। दो अवयव क्रमशः आन्तरिक एवं वाह्य कारक इकाईयों के समस्याओं के कारक होते है। यह ऐसे कारक है। जिन पर इकाई का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नियंत्रण नहीं होता है।

इकाईयों के वाह्य कारकों में वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों, मूल्य निर्धारण, वितरण, इनपुट की अनुपलब्धता जैसे विद्युत, यातायात, कोयला, इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि इकाई के आन्तरिक कारक प्रबन्धन के नियंत्रण में होता है। यह क्रमशः दोषपूर्ण योजना, योजनाओं का गलत क्रियान्वयन, सूची विनिमय एवं लागत की कमी, साइड का गलत चयन, लेखा का गलत प्रबन्धन इत्यादि। रूग्णता के कारण इकाई की साइज, क्षेत्र एवं उत्पाद के अनुसार पृथक–पृथक होते हैं।

साधारणतया कोई भी इकाई तभी रूग्ण होती है, जब यह पर्याप्त नगद अतिरेक को उत्पन्न नहीं कर पाती है। आन्तरिक नगदी का उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है तथा किसी भी इकाई की रूग्णता का प्रथम विश्लेषण का कारण होता है। आन्तरिक नगदी में गिरावट के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं –

01. उत्पादन में गिरावट
    - उत्पादन की समस्या
    - आदेशों की कमी
    - कच्चेमाल की कमी
02. निम्न नकदी प्रबन्धन
03. उत्पादन लागत में वृद्वि
04. उपभोक्ता द्वारा भुगतान में देरी
05. गैर उत्पादकता हेतु धन का इस्तेमाल इत्यादि

रूग्णता के अनेकों कारक हो सकते है किन्तु मुद्रा की तरलता ही मूल कारण होती है। लगातार नगदी की हानि से इकाई अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं कर पाती जिससे उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों जैसेः– कच्चे माल की आपूर्ति में कमी होने लगती है साथ ही इकाई ऐसी स्थिति में मुद्रा की तरलता का प्रयोग अल्पावधि के फण्ड को दीर्घावधि पूंजी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अतः निरन्तर नगदी की गिरावट से इकाई निम्न स्तर पर कार्य करने लगती है, तथा अपने बाजार/उपभोक्ता पर नियंत्रण खोने लगती है। इस प्रकार इकाई लाभ संभाव्यता को खो देती है, तथा इकाई रूग्ण हो जाती है।

(फ्लो चार्ट)

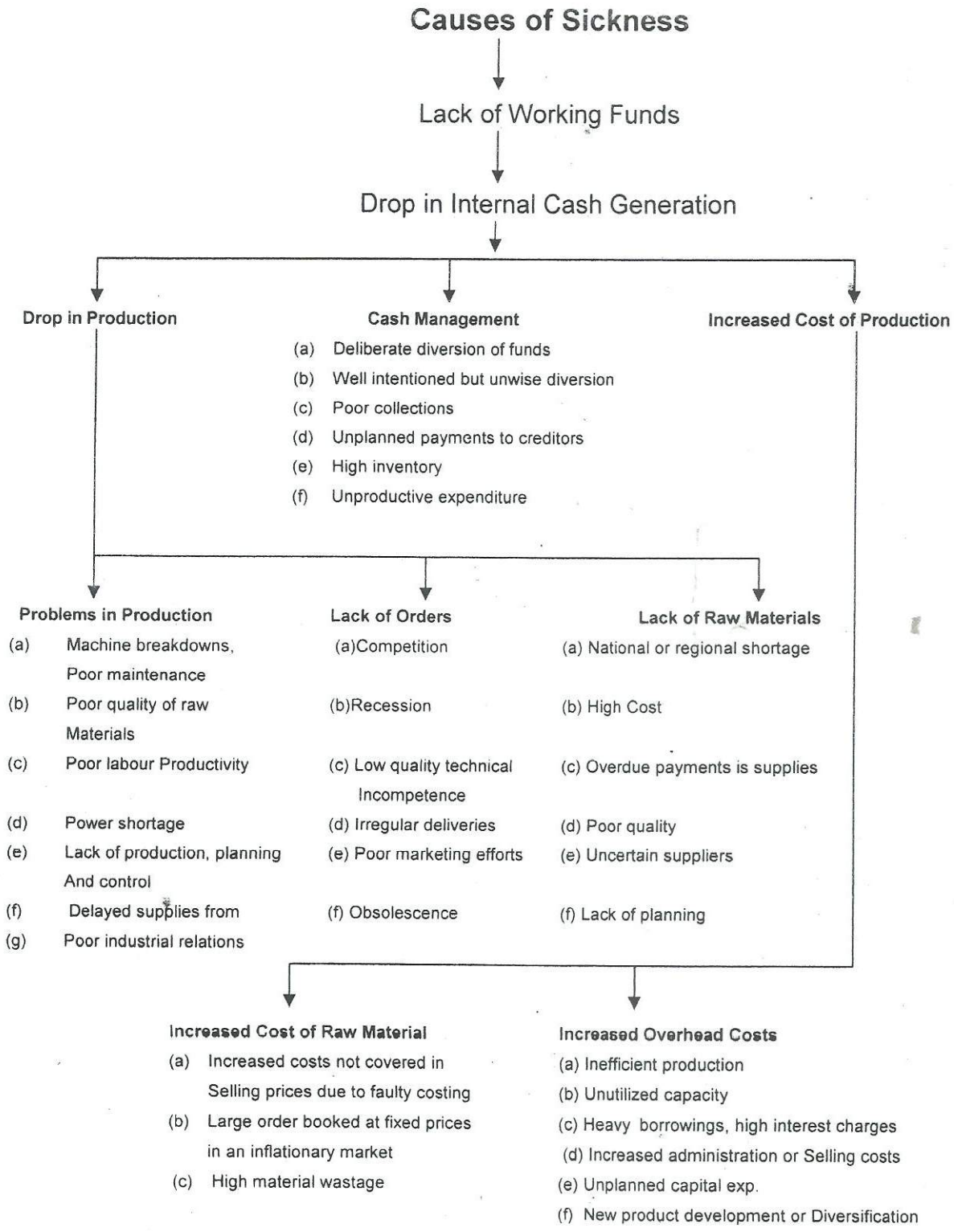

Causes of Sickness

↓

Lack of Working Funds

↓

Drop in Internal Cash Generation

↓

Drop in Production

Cash Management

(a) Deliberate diversion of funds
(b) Well intentioned but unwise diversion
(c) Poor collections
(d) Unplanned payments to creditors
(e) High inventory
(f) Unproductive expenditure

Increased Cost of Production

Problems in Production

(a) Machine breakdowns, Poor maintenance
(b) Poor quality of raw Materials
(c) Poor labour Productivity
(d) Power shortage
(e) Lack of production, planning And control
(f) Delayed supplies from
(g) Poor industrial relations

Lack of Orders

(a)Competition
(b)Recession
(c) Low quality technical Incompetence
(d) Irregular deliveries
(e) Poor marketing efforts
(f) Obsolescence

Lack of Raw Materials

(a) National or regional shortage
(b) High Cost
(c) Overdue payments is supplies
(d) Poor quality
(e) Uncertain suppliers
(f) Lack of planning

Increased Cost of Raw Material

(a) Increased costs not covered in Selling prices due to faulty costing
(b) Large order booked at fixed prices in an inflationary market
(c) High material wastage

Increased Overhead Costs

(a) Inefficient production
(b) Unutilized capacity
(c) Heavy borrowings, high interest charges
(d) Increased administration or Selling costs
(e) Unplanned capital exp.
(f) New product development or Diversification

रूग्णता की पहचान एवं संकेत

रूग्णता के संकेत

इकाई के रूग्णता के अनेको संकेत होते है। इन संकेतों को निम्न स्रोतों से जाना जा सकता है:–

(1). स्टाक निरीक्षण,
(2). बैंक बही खाता,
(3). उधारकर्ता से वार्ता,
(4). बाजार रिपोर्ट,
(5). वित्तीय स्टेटमेन्ट इत्यादि।

साधारणतः बैंक/वित्तीय संस्थायें इन्हीं संकेतों के माध्यम से रूग्णता का अध्ययन करते हैं।

(1) स्टाक निरीक्षण

उधारकर्ता के स्टाक स्टेटमेन्ट को स्टाक रजिस्टर से तुलना करने पर इकाई द्वारा घोषित स्टाक (भण्डार) की स्थिति का आकलन बैंक द्वारा किया जाता है। भण्डार स्टेटमेन्ट एवं स्टाक रजिस्टर में किसी भी प्रकार की भिन्नता इस बात का संकेत देती है कि इकाई के स्टाक में कमी है। बड़े उधारकर्ता के स्टाक निरीक्षण में निम्न भी सम्मिलित होता है।

- इकाई परिसर में रखा भंडार।
- विक्रय डिपो के रूपान्तरण अथवा प्रशोधन के लिए बाहर भेजे गये स्टाक की स्थिति।
- स्टाक जो ट्रान्जिट स्थिति में हैं

स्टाक के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त निम्न कारक भी महत्वपूर्ण है –

- कच्चे माल का क्रय मूल्य जैसा बिलों में दर्शाया गया है।
- उत्पादन प्रबन्धक द्वारा सत्यापित प्रक्रिया की दशा एवं निर्मित माल की स्थिति।
- इकाई का मूल्य निर्धारण एवं स्टाक मूल्यांकन की प्रक्रिया।

स्टाक लागत एवं स्टाक स्टेटमेन्ट में भिन्नता तथा लेखा पुस्तकों में भिन्नता इस बात का संकेत देती है कि स्टाक में हेराफेरी की गयी है।

(1). स्टाक का भौतिक सत्यापन इस बात का संकेत देता है कि ऋण का अन्तिम उपयोग ठीक किया गया है। यदि स्टाक अपर्याप्त है तो दर्शाता है कि धन का उपयोग सहमति एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं है।

(2). यदि इकाई के डिपों में रखा सामान इकाई के उत्पाद के अनुसार नहीं है तो संकेत प्राप्त होते है कि इकाई द्वारा उत्पादन न कर Trading का कार्य किया जा रहा है। साथ ही निर्धारित मात्रा से यदि ज्यादा स्टाक रखा पाया जाता है तो दर्शाता है कि इकाई Trading कार्य में लिप्त है।

(3). यदि स्टाक स्टेटमेन्ट जानबूझकर लम्बे समय से वित्तीय संस्था से सत्यापित नहीं करवाया गया है तो संकेत प्राप्त होते है कि स्टाक पर्याप्त मात्रा में नहीं रखा गया है।

(4). यदि इकाई द्वारा समान स्टाक के लिए दो वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया गया है, जो दर्षाता है कि इकाई ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही है।

(5). स्टॉक की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना अत्यन्त दुश्कर कार्य है। यदि काफी समय से निर्मित माल का कोई भी आवागमन नहीं हो रहा तो संकेत मिलते है कि कच्चे माल की गुणवत्ता भी खराब है।

(2) बैंक बही खाता का अध्ययन

1. किसी भी बैंक खाते में खराब टर्नओवर दर्शाता है कि बिक्री किसी अन्य माध्यम अथवा अन्य बैंक से की गई है अथवा नहीं। इस दशा में बैंक अधिकारी अपने स्तर से विश्लेषण करता है क्योंकि यह स्थिति धन का दुरूपयोग प्रदर्शित करती है।

2. इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कहीं बड़ी धनराशि के चेक, पोस्ट डेटेड चेक एवं अन्य चेक बार–बार किसी एक अथवा अन्य फर्म/संस्था अथवा व्यक्ति के नाम निर्गत तो नहीं की गई है जो व्यवसाय से जुड़ा ही नहीं हो। इस संबंध में ऋणकर्ता से वार्ता करके स्थिति को जाना जा सकता है तथा इसके निराकरण हेतु सुझाव भी दिये जाते हैं।

3. ऋण खाते के द्वारा किसी भी व्यवसाय के भुगतान की स्थिति को जाना जा सकता है। कितनी बार ऋणकर्ता के उत्पाद को निरस्त (रिजेक्ट) किया गया अथवा क्रेता द्वारा कितना भुगतान सीधे ऋणकर्ता को दिया गया आदि की जानकारी खाते के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जब बिल बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो इसकी सूचना बैंक कारण सहित ऋणकर्ता को दिया जाता है।

4. यदि लम्बे समय तक भुगतान की प्रक्रिया में अनियमितता पायी जाती है तो यह स्थिति दर्शाती है कि इकाई का आउटफ्लो – इनफ्लो से अधिक है।

5. यदि बैंक खातों में विगत एक वर्षों से कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है तो प्रदर्शित होता है कि इकाई ने कार्य करना बन्द कर दिया है। इस स्थिति में बन्द पड़े खाते का विश्लेषण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

6. विगत एक वर्षों के दौरान की गई लेन–देन की स्थिति इकाई के रूग्ण होने का संकेत देती है। यदि वास्तविक धन की निकासी व्यापार से संबंधित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय के व्यस्त समय इकाई को ज्यादा धन की जरूरत होती है। इन सभी स्थिति में भ्रान्ति होने पर इकाई के रूग्ण होने के संकेत प्राप्त होने लगते हैं।

7. यदि अत्यन्त ज्यादा धन की निकासी खातों से की गई है तो ऐसी स्थिति में इकाई के रूग्ण होने के संकेत प्राप्त होने लगते हैं।

(3) ऋण लेने वाली इकाई से वार्ता

इन पहलुओं पर भी प्राइमरी लेण्डर (बैंक) द्वारा ऋणकर्ता से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है यदि निम्न कोई भी संकेत प्राप्त होते हैं तो उस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है–

1. मशीन एवं उपकरण में बड़ी खराबी
2. कारीगरों की हड़ताल
3. प्रबन्धन में परिवर्तन
4. निदेशक/साझेदार की बीमारी अथवा मृत्यु
5. निदेशक/साझेदार में मतभेद
6. इकाई/बोर्ड का पुर्नरचना
7. बार–बार बैंक सीमा को बढ़ाने का अनुरोध

(4) बाजार रिपोर्ट

बाजार रिपोर्ट में निम्न कारणों का भी विश्लेषण करने पर रूग्णता के संकेतों को जाना जा सकता है–

1. उद्योग में अवमूल्यन/ह्रास
2. इनपुट अवयवों की नकारात्मक स्थिति
3. पार्टी इकाई की असन्तोषजनक रिपोर्ट
4. मूल्य में एकाएक गिरावट
5. आयात/निर्यात/मूल्य निर्धारण इकाई में सरकारी नीतियों के कारण परिवर्तन
6. अन्य बैंकों के साथ लेन–देन

(5) वित्तीय स्टेटमेन्ट एवं अन्य डाटा

प्राइमरी लेण्डर द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का भी आंकलन कर रूग्णता के संकेतों को चिन्हित किया जा सकता है–

1. लाभ में असन्तोषजनक स्थिति
2. लेखा पुस्तकों में ऋण में वृद्धि
3. कार्यशील पूंजी की कमी
4. इक्विटी स्थिति में असन्तोषजनक स्थिति
5. अल्पावधि फण्ड का परिवर्तन दीर्घावधि फण्ड हेतु
6. गैर उत्पादक पूँजी का निर्माण
7. अस्वस्थ लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

चैप्टर – 02

रूग्ण इकाई
परिभाषा, प्रक्रिया एवं पुनर्वासन पैकेज

1. रूग्ण ईकाईयों की परिभाषाः

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012.)

लघु उद्योग इकाई की परिभाषा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने परिपत्र नवम्बर, 2012 के अनुसार–

(अ). इकाई का ऋण खाता जो विगत तीन माह अथवा अधिक समय से एन0पी0ए0 (नान परफारमिंग एसेट) बना हुआ हो।

अथवा

पिछले लेखा वर्षों के दौरान उसके पीक नेटवर्थ में 50 प्रतिषत से अधिक अपक्षरण (Erosion) हुआ हो।

02. जानबूझकर किये गये रूग्ण इकाई की परिभाषा

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012.)

ऐसी इकाईयां जो जानबूझकर किये गये कुप्रबंधन जानबूझकर किये गये डिफाल्ट, अनाधिकृत रूप से धन का diversion साझेदारों के मध्य disputes के कारण रूग्ण होती हैं। ऐसी ईकाई रूग्ण घोषित किये जाने के योग्य नहीं होगी तथा इन्हें किसी भी प्रकार की राहत अथवा पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी इकाईयों से बैंक अपने ऋृण की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

2.1 पर्याप्त नगद आय अथवा अच्छी नेटवर्थ होते हुए भी वकाया धनराशि का जानबूझ कर भुगतान न करना।

2.2 भ्रामक / झूठे अभिलेख बनाना

2.3 वित्त पोषित सम्पति कय नहीं की गयी अथवा विकय कर दी गई एव विकय धनराशि का दुरूपयोग कर लिया गया।

2.4 सम्पत्तियों का बैंक को सूचना के बिना बेचना / हटना

2.5 ऋृण धन का diversion करना।

उपरोक्त दशा में इकाई को रूग्ण घोषित नहीं किया जायेगा अपितु बैंक / वित्तीय संस्था इकाई से वसूली करेगी।

IEDUP

3.0 रूग्ण इकाई हेतु पुर्नवासन प्रक्रिया एवं समय सीमा

3.1 जनपद स्तरीय पुर्नवासन समिति, प्रक्रिया एवं समय सीमा:

जो **सूक्ष्म औद्योगिक इकाई** उपरोक्त परिभाषा के अनुसार अपनी इकाई को रूग्ण घोषित करवाना चाहती है, उसे अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर **महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।** इस समिति में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्राइमरी लेण्डर (बैंक/वित्तीय संस्था), चार्टेड वित्तीय विश्लेषक के साथ–साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में औद्योगिक एशोसिएशन के प्रतिनिधि को समिति

Co-opt कर सकती हैं। ईकाई अपने आवेदन पत्र के साथ–साथ विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सपेक्षित बैलेंसशीट की प्रतियों के साथ जमा करेगी।

इसी प्रकार जो **लघु उद्योग इकाई** अपनी इकाई को उपरोक्त परिभाषा के अनुसार रूग्ण घोषित करवाना चाहती है अपना आवेदन प्रपत्र निर्धारित प्रारूप पर **महाप्रबंधक के माध्यम से** परिक्षेत्रीय/संयुक्त निदेशक उद्योग को प्रेषित करेगा तथा संयुक्त निदेशक उद्योग, मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति में इकाई का प्रस्ताव रखेगा तथा समिति के निर्णयोपरान्त रूग्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। इस समिति में सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक भी सदस्य होंगे।

अन्य समस्त औपचारिकतायें सूक्ष्म औद्योगिक इकाईयों हेतु लागू नियमानुसार की जायेगी।

(प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के सुझाव को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त व्यवस्था प्रस्तावित है।)

यदि इकाई की कुल लागत रू0 5.00 लाख तक है तो इकाई स्वयं (प्रमोटर) द्वारा प्रमाणित बैलेंसशीट प्रस्तुत करेगी। यदि रू0 5.00 लाख से अधिक है तो चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सपेक्षित बैलेंसशीट प्रस्तुत करेगी। आवेदन पत्र की एक–एक प्रति प्राइमरी लेण्डर (बैंक/ वित्तीय निगम) को भी जमा करेगी।

इस प्राप्त सूचना के आधार पर प्राइमरी लेण्डर, महाप्रबधक, जिला उद्योग केन्द्र, एवं समिति के अन्य सदस्य आवेदन पत्र का परीक्षण कर 15 दिन के भीतर अपनी विस्तृत राय परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग एवं क्षेत्रीय बैंक कार्यालय को प्रेषित करेगे साथ ही इस सूचना को पोर्टल (प्रस्तावित) पर भी अपलोड करेंगे।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र समिति के अन्य सदस्यों की राय के अनुसार तथा मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति से प्राप्त संस्तुति के उपरान्त इकाई को **"रूग्णता प्रमाण पत्र" निर्गत** करेंगे। साथ ही जिस तिथि से इकाई को रूग्ण घोषित किया जायेगा उसी तिथि से इकाई की समस्त देनदारियों को स्थगित करते हुए "पुनर्वासन पैकेज" बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी तथा **इस कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा (तीन माह आर0बी0आई0 द्वारा घोषित एन0पी0ए0 अवधि तथा एक माह आवेदन प्रक्रिया एवं रूग्णता प्रमाण–पत्र निर्गमन एवं दो माह पैकेज तैयार करने की अवधी)।**

महाप्रबन्धक द्वारा रूग्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ पुर्नवासन पैकेज हेतु प्रस्ताव परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से, मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति के समक्ष पुनर्वासन पैकेज तैयार करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

समयबद्व निस्तारण हेतु इन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा उद्योग निदेशक एवं आयुक्त के स्तर पर भी की मासिक समीक्षा की जायेगी।

4.0 मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति, कार्य, समय सीमा एवं प्रक्रिया :

समिति :

रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में होगी तथा यह मण्डल स्तरीय पुर्नवासन समिति कहलायेगी। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे–

क. मण्डल स्तरीय एसोसिएशन का प्रतिनिधि
ख. प्राइमरी लेण्डर/वित्तीय संस्था का क्षेत्रीय अधिकारी
ग. ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, कर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी
घ. चार्टेड वित्तीय विश्लेषक
च. अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग (सदस्य सचिव) होंगे।
छ. सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जायेंगे।

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी इसके लिये पृथक से शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मण्डल स्तरीय समिति बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज पर विचार करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेगी। पुनर्वासन पैकेज बनाने वाली समिति में बैंक/वित्तीय संस्था के अतिरिक्त एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक की भी सहायता प्राप्त की जायेगी जिससे पैकेज तैयार करने में पारदर्शिता लायी जा सके।

4.1 समिति का कार्य

(क) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा संस्तुत इकाइयों के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु वित्तीय संस्था का निर्धारण करना।
(ख) पुनर्वासन के लिये योग्य इकाइयों के पुनर्वासन पैकेज दो माह के अन्दर तैयार करना होगा।
(ग) शासन द्वारा रूग्ण इकाइयों हेतु निर्धारित ऐसी सुविधाओं को प्रदान करना जिनके भविष्य में अधिकार इस समिति को प्रतिनिधानित किये गये हैं।
(घ) पुनर्वासन पैकेज को स्वीकार कर क्रियान्वित कराना।
(ड.) रूग्णता के लक्षण प्रदर्शित कर रही ऐसी इकाइयों की रोकथाम आर.बी.आई. की हैण होल्डिंग प्रक्रिया के तहत इस प्रकरण को समिति के संज्ञान में लाया जायेगा। आर0बी0आई0 के निर्देशानुसार बैंकों द्वारा इस संबंध में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट की नियमित समीक्षा भी की जाए।
(च) अन्य कोई मद जो योजना के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु आवश्यक समझी जाए।

4.2 अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

समिति अपनी मासिक बैठक में मण्डल के विभिन्न जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के द्वारा इकाईयों को रूग्ण घोषित करने हेतु की गई संस्तुतियों का परीक्षण करेगी। रूग्ण घोषित इकाईयों को देय सुविधाएं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा रूग्ण घोषित कर दिये जाने के दिनांक से लागू होंगी। समिति के द्वारा रूग्ण घोषित की गई इकाइयों के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु किसी एक वित्तीय संस्था/बैंक को (आपरेटिंग एजेन्सी), चार्टेड वित्तीय विश्लेषक नामित किया जाएगा ऐसी वित्तीय संस्था/बैंक को ही आपरेटिंग एजेन्सी नामित किया जाएगा जो रूग्ण घोषित की गई इकाई का प्राइमरी लेन्डर हो। संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक आपरेटिंग एजेन्सी तथा चार्टेड वित्तीय विश्लेषक निर्धारित किये जाने के दो माह के भीतर परीक्षणोपरान्त या तो कारण सहित यह इंगित करेगी कि रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन सम्भव नहीं है अथवा पुनर्वासन सम्भव है तो इसी दो माह की अवधि के भीतर पुनर्वासन पैकेज बनाते हुए इस समिति के समक्ष आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा पुनर्वासन की सम्भावनाओं का परीक्षण एवं पैकेज बनाये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण मण्डल में नियुक्त अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग सुनिश्चित करेंगे। **विवेकानुसार परिक्षेत्रीय अधिकारी उद्योग के अनुरोध पर मण्डल स्तरीय आपात बैठक बुलाई जा सकती है।**

चार्टेड वित्तीय विश्लेषक के परामर्श शुल्क पर आने वाला व्यय पैकेज तैयार करते समय परामर्श शुल्क की धनराशि को जोड़कर बनाया जायेगा तथा इसका भुगतान पुर्नवासन पैकेज के तहत किया जायेगा।

4.2.1 जिन संस्थाओं/बैंकों द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं के बारे में अपनी सहमति देने के बारे में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो उस दशा में मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति ऐसे मामले उद्योग निदेशक के माध्यम से राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति को संदर्भित करेगी। राज्य स्तरीय Empowered Committee के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, लघु उद्योग होंगे साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य सम्बंधित विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

4.2.2 यदि मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के द्वारा किसी इकाई को पुनर्वासन योग्य/रूग्ण घोषित करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी इकाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति के समक्ष निदेशक उद्योग के माध्यम से एक माह के अन्दर अपील कर सकती है।

5.0 राज्य स्तरीय समिति

राज्य स्तरीय स्टैण्डिग कमेटी के कार्य का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं क्षेत्रीय निदेशक, आर0बी0आई0 की सह अध्यक्षता में गठित Empowered Committee/SLIIC को प्रदान किया जाता है। इस समिति में संयोजक बैंक द्वारा विचाराधीन पैकेज की आवश्यकतानुसार ऊर्जा, कर एवं निबन्धन, आवास एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार अन्य विभाग/संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों को भी कमेटी की बैठक में बुलाया जा सकता है। उक्त प्रस्तावित **राज्य स्तरीय** Empowered Committee/SLIIC मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के कार्य कलापों का प्रत्येक माह पूर्व निर्धारित दिवस पर अनुश्रवण करेगी तथा साथ ही साथ मण्डल स्तरीय समितियों द्वारा शासन को संदर्भित मामलों में निर्णय करेगी। इसके अलावा जो सुविधाएं राज्य स्तर पर इकाइयों को उपलब्ध कराई जानी है, पर भी निर्णय लेगी। संदर्भ–संशोधित पत्रांकः 2181/18.2.2011–77 (23)/90 दिनांक 13.12.2012 ।

6.0 पुर्नवासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाला पैकेज

6.1 पुनर्वासन योग्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को सुविधाएं

यदि किसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन योग्य मानते हुए पुनर्वासन पैकेज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है तो रूग्ण घोषित किये जाने की तिथि से 02 माह तक पुनर्वासन पैकेज बनाने की अवधि के दौरान किसी भी विभाग के द्वारा उस इकाई के विरूद्ध कोई उत्पीडन कार्यवाही नही की जाएगी। यदि दो महीने के भीतर पुनर्वासन पैकेज तैयार नहीं हो जाता है तो आपरेटिंग एजेन्सी/प्राइमरी लेण्डर के इकाई पर बकाये की वसूली पुनर्वासन पैकेज के तैयार होने तक स्थगित रहेगी तथा विलम्ब का कारण प्रत्येक माह मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक के स्तर पर भी ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा कर शासन को अवगत कराया जायेगा।:

6.2. बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जा सकने वाली सहायता और छूटः

"Non discretionary one time settlement scheme recovery हेतु ऐसे Non Performing Loan (MSME) हेतु तैयार कर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से अनुमोदन प्राप्त करेगी जैसा **Circular No.** RPCD, SME & NFS.Bc.No. 102/06.04.01 दिनांक 04 मई, 2009 में वर्णित है। एकमुश्त समाधान योजना का प्रचार–प्रसार बैंकों द्वारा अपने वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से किया जायेगा। बैंक लाभान्वित होने वाली इकाई को उचित समयावधि प्रदान करेगा जिससे इकाई अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। एकमुश्त समाधान योजना हेतु बैंक अपने जिला स्तरीय/मण्डल स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को शक्तियॉ प्रदान करेगी जिससे अनावश्यक विलम्ब को समाप्त किया जा सके। प्राइमरी लेण्डर जो भी वित्तीय पैकेज तैयार करेगी वह समस्त आर.बी.आई. द्वारा पूर्व में निर्धारित कम्पोनेन्ट को आधार बना कर तैयार किये जायेंगे। विभिन्न कम्पोनेन्ट निम्न प्रकार से हैं–

वित्त पोषक है) द्वारा वित्त पोषित किये जायेंगे। अर्थात् भविष्य में नकद घाटे के आंकलन में बैंक को देय ब्याज भविष्य के नकद आकलन में जाना चाहिए न कि वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाले मद में। बैंक को देय ब्याज पृथक से पोषित होना चाहिए। जबकि वाणिज्य बैंक अकेली वित्तदाता है तब भविष्य के नकद घाटे ब्याज सहित बैंक के द्वारा वित्त पोषित होंगे।

6.2.6 कार्यशील पूंजी

नकदी घाटे/कोष के कोषीय धनराशि पर ब्याज पुर्नवास सहायता के अर्न्तगत होंगे। सिडबी द्वारा निर्धारित दर पर होगा।

कार्यशील पूंजी पर निर्धारित प्राइम (जो भी लागू हो) उसे 1.5 प्रतिशत कम पर ब्याज लिया जायेगा। अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सीमा, पीएलआर की सीमा दर तक बढ़ाई जा सकती है।

6.2.7 आकस्मिक ऋृण सहायता

पुर्नवास कार्यक्रम के अर्न्तगत पूंजीगत व्ययों की लागत में वृद्धि को आवश्यक होने पर बैंक/वित्तीय संस्था अनुमानित लागत का 15 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता (उपयुक्तता के आधार पर) आकस्मिक ऋृण सहायता के रूप में दे सकती है। इस ऋृण पर ब्याज दर कार्यशील पूंजी पर लगाई गई रियायती दर पर ली जा सकती है।

6.2.8 प्रारंभिक व्यय एवं कार्यशील पूंजी की मार्जिन मनी हेतु राशिः

पुर्नवास की जाने वाली इकाई को कार्य प्रारंभ करने हेतु होने वाले व्यय (उधार चुकाने), कार्यशील पूंजी की मार्जिन राशि आदि के लिए लम्बी अवधि के ऋृण की आवश्यकता होगी। जहां पर वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी न हो वहां पर बैंक प्रारम्भिक व्यय हेतु ऋृण दे सकते हैं एवं मार्जिन राशि हेतु सहायता सिडबी की रिफाइनेन्स स्कीम फार रिहैबिलिटेशन अथवा जहां राज्य सरकार की मार्जिन मनी स्कीम चल रही हो, के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। पुर्नवास हेतु दिये जा रहे नवीन ऋृण पर प्रचलित ब्याज दर, प्राइम ऋृण दर, सिडबी अथवा नाबार्ड की निर्धारित से 1.5 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है। **ब्याज दरों में रियायत, इकाई की वार्षिक परफार्मेन्स की समीक्षा पर आधारित होगी।**

6.2.9 प्रवर्तक का अंश :

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के अनुसार पुनर्वास पैकेज में प्रवर्तक का अंश अतिरिक्त दीर्घ कालीन आवश्यकताओं का सूक्ष्म इकाइयों हेतु 10 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 20 प्रतिशत निर्धारित है। विकेन्द्रित क्षेत की इकाईयों के लिए प्रवर्तक के अंश पर जोर नहीं भी दिया जा सकता है। पुर्नवास कार्यक्रम में प्रवर्तक के अंश को वर्तमान सीगा रो बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को छूट है कि वे प्रवर्तक अंश में वृद्धि कर सकते हैं।

पुर्नवास व्यवस्था में प्रमोटर्स को 50 प्रतिशत योगदान तत्काल अपनी ओर से करना होगा तथा शेष आगामी 06 माह में प्रमोटर्स के योगदान की गणना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या सरकार की हानि धनराशि की गणना की जानी होगी। इस गणना के अतिरिक्त दीर्घकालीन कोष की व्यवस्था पुर्नवास पैकेज में की जानी है। पैकेज तैयार करने के दौरान प्रमोटर्स का योगदान निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत लाना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न छूट एवं सहायता प्रदान करते हुए स्वीकृति पत्र में **'प्रतिदान का अधिकार'** के अन्तर्गत यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बीमार इकाईयों के पुर्नवासन के माध्यम से सफल होने पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किये गये तथा होने वाली हानि का अण्डरटेकिंग को भविष्य में पुर्नवासित इकाई द्वारा अर्जित लाभ एवं नकद प्राप्तियों से क्षतिपूर्ति की जायेगी।

6.3 वाणिज्य कर विभाग:

व्यापार कर अधिनियम की धारा 38(1) एवं वैट अधिनियम की धारा 71 की उपधारा के अन्तर्गत सेक्शन 33(1) एवं (2), एवं सेक्शन 39(1)एवं (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किया गया है –

"an authorized body constituted by the Cental Government or the State Government in connection with the rehabilitation of sick industrial units and is approved for rehabilitation by an approved agency, appointed by the Central or the State Government" इन प्राविधानों द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों में राज्य सरकार को वर्तमान मूल्य संबर्द्धित कर प्रणाली में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

6.3.1 व्यापार कर की वर्तमान व भावी देयों के संबन्ध में रू. 10.00 लाख की सीमा तक 05 वर्षों के लिये आस्थगन (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति पर अगले 05 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) के संबंध में निर्णय मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति द्वारा लिया जाएगा। समिति तद्नुसार संस्तुति राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगी तथा शसन स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेगे।

6.3.2 रू. 10.00 लाख के ऊपर रू. 1.00 करोड़ की सीमा तक मूल्यवर्द्धित कर (वैट) के वर्तमान भावी देयों के संबंध में आस्थगन की सुविधा 05 वर्ष के लिये (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति कर अगले 05 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) दिये जाने का अधिकार राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थागत समिति को होगा। राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग द्वारा औपचारिक आदेश संस्थागत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे।

6.3.3 *मूल्यवर्द्धित कर (वैट) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्राविधानित नियम लागू होंगे।*

6.4 ऊर्जा विभाग:

उ0प्र0 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के संदर्भ खण्ड 6.16 में वर्णित रूग्ण इकाई (विशेष उपवन) अधिनियम 1985 के अनुसार बेरोजगारी निवारण के लिये विशेष प्राविधान अधिनियम 1966 के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 33 के0वी0ए0 से ऊपर इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी0आई0एफ0आर0 द्वारा पैकेज को लागू करती है। रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों हेतु 33 के0वी0ए0 के नीचे की इकाईयों हेतु उ0प्र0 विद्युत नियामक बोर्ड की सहमति ली जानी होगी।

6.4.1 रूग्ण इकाईयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा, किन्तु यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब संबंधित फीडर स्वतंत्र हो व उक्त सुविधा का प्राविधान पुनर्वासन पैकेज में किया गया हो।

6.4.2 रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पुनर्वासन पैकेज तैयार किये जायेंगे उसी आधार पर इकाई से यदि इकाई कार्यरत है तो रूग्ण घोषित होने की तिथि से रूग्णता की अवधि मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी के प्राविधान को शिथिल करते हुये स्वीकृत भार चार्ज तथा विद्युत युनिट के वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल निर्गत किये जायेंगे। पुनर्वासन पैकेज निर्धारित होने पर मिनिमम कन्जंम्पशन गारंटी से मुक्त करने के संबंध में जो निर्णय लिया जाये उसके अनुसार वसूली हेतु किश्तें निर्धारित की जायेगी।

6.4.3 यदि इकाई बंद है तो बंद रहने के अंतराल हेतु मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी से मुक्त रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, यदि वह पुनर्वासन पैकेज का अंश हो।

6.4.4 यदि पुनर्वासन पैकेज में इस आशय की व्यवस्था हो तो बंदी के बाद विद्युत पुनः स्थापित करने हेतु रूग्ण इकाई से सिस्टम लोडिंग चार्जेज नहीं लिये जायेगें।

6.4.5 वर्तमान विद्युत देयों का भुगतान किया जायेगा, पिछले बकाया विद्युत देयों की वसूली इकाई रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक वसूली स्थगित रहेगी, तदुपरान्त पिछले बकायों की वसूली पैकेज के अर्न्तगत निर्धारित किश्तों में की जायेगी।

6.4.6 इकाई के बन्द होने पर रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक इकाई पर कोई विद्युत सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।

6.4.7 पुनर्वासन हो जाने के पश्चात् समस्त बकायों का समायोजन पुनर्वासन पैकेज के अनुसार कर दिया जायेगा।

6.4.8 समिति को यह अधिकार होगा कि पुनर्वासन योग्य इकाई के प्रकरण पर इकाई के रूग्ण होते ही उसका विद्युत संयोजन जोड़ दिया जाये और वास्तविक उपभोग के आधार पर इकाई बिल देना प्रारम्भ कर दें।

6.4.9 पुनर्वासन योग्य रूग्ण घोषित लघु औद्योगिक इकाई को आंशिक विद्युत भार समर्पित किये जाने की सुविधा पर भी समिति निर्णय लेगी। समर्पण की सुविधा न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम 2 वर्ष तक के लिये होगी। इस अवधि में यदि उद्योग अपना समर्पित भार वापस प्राप्त करना चाहता है तो उस पर सिस्टम लोडिंग चार्जेज नही लगेगें। 100 हार्स पावर तक के लघु उद्योगों को भार समर्पित करने की निःशुल्क सुविधा उस दशा में उपलब्ध कराई जायेगी यदि वे इलेक्ट्रानिक्स मीटर स्थापित करें। इन मीटरों का मूल्य उनके बिलो मे समायोजित किया जायेगा।

6.5 श्रम विभाग

इकाई की श्रमिक समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार यथा आवश्यक सहायता प्रदान करते हुये श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु तथा श्रम अभिनवीकरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग करेगी। इस पर निर्णय **Empowered Committee** द्वारा लिया जायेगा। पुनर्वासन पैकेज में इस बात की व्यवस्था होगी कि रूग्ण इकाई अपने श्रमिकों का वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ग्रेच्युटी भुगतान हेतु अनुतोषिक भुगतान अधिनियम 1972, बोनस भुगतान हेतु अधिनियम 1965 एवं इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को देय अवकाशों हेतु कारखाना अधिनियम 1948 में प्राविधान निहित किये गये हैं। श्रमिकों का उपरोक्त अंकित कुल बकाया भुगतान पुनर्वासन होने के पश्चात् समान किश्तों में प्रत्येक तीन माह की अवधि में कुल बकाया धनराशि का भुगतान दो वर्षों में करेगी। इस प्रकार के शिथिलीकरण किये जाने पर श्रम विभाग के अनुसार उचित होगा कि इस प्रक्रिया में संबंधित प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक यूनियनों का भी अभिमत प्राप्त किया जाए तथा अंतिम पुर्नवासन पैकेज तैयार किये जाने के पूर्व श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य श्रम विभाग के हस्तक्षेप से देयों के भुगतान की समयावधि के संबंध में सहमति बना ली जाय **(पत्रांकः 3151/IRD-2013 दिनांक 12.12.2013 छायाप्रति संलग्न)**।

6.6 आबकारी विभाग

बकाया आबकारी करों का आस्थगन 5 वर्ष के लिये किया जा सकेगा जिसकी वसूली पैकेज मे उल्लिखित अवधि तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो से की जायेगी। बकायों को माफ किये जाने के संबंध में निर्णय राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उपसमिति द्वारा लिया जायेगा।

6.7 भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन के संबंध में समय–समय पर जो सुविधायें बैंको/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस योजना के अर्न्तगत उपलब्ध कराई जायेगी वे पुनर्वासन की जाने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों पर लागू होगी और यह सुविधा मण्डल स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

IEDUP

विचारार्थ सुझाव

7.0 रूग्ण तथा रूग्णोन्मुखी इकाईयों की अध्यतन स्थिति, समीक्षा तथा प्रगति जानने के लिये **एक पोर्टल का विकास किया जाना है।** जिस पर समस्त सूचनायें, आवेदन एवं **सन्दर्भ कोड संख्या अपलोड की जायेगी।** इसके निर्माण पर आने वाला वहन उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

8.0 **पुर्नवासन क्रियान्वयन हेतु संवैधानिक संस्था का गठन (प्रस्तावित)**

पुर्नवासन प्रक्रिया का लाभ उन्हीं रूग्ण इकाईयों को मिलेगा जो पुर्नवासन योग्य है। **जिनकी संख्या आर0बी0आई0 के अनुसार सितम्बर 2013 तक संकलित कुल 5299 है।**

पुर्नवासन को लागू किये जाने हेतु SICA, 1986 कि तर्ज पर एक Statutory Body (अथॉरिटी) का गठन जो पैकेज एवं पैकेज में दिये जाने वाली सुविधाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से लागू करवा सके।

अथवा

यदि पुर्नवासन पैकेज को कैबिनेट से पास कराकर लागू करवाया जाय तो बिना अथॉरिटी के गठन के ही लागू करवाया जा सकता है। प्रावधान है कि :–

– वाणिज्य कर विभाग ने अधिनियम की धारा 38(1) एवं वैट अधिनियम की धारा 71 की उपधारा के अन्तर्गत सेक्शन 33(1 एवं 2) सेक्शन 39(1 एवं 2) के अन्तर्गत यह प्राविधान कर रखा है कि प्रदेश सरकार जिस भी संस्था को रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन पैकेज को लागू करवाने हेतु अधिकृत करती है को की मान्यता वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी जायेगी।

– Electricity Regulatory Board भी प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पैकेज को मानने के लिये बाध्य है।

अतः उक्त दशा में किसी अथॉरिटी को बनाये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

9.0 पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Revolving Fund की व्यवस्था की जायेगी। इस धनराशि से रूग्ण इकाईयों को दिये जाने वाली छूट/भुगतान की भरपायी की जा सकेगी। विकल्प निम्नवत् हो सकते हैं –

उद्योग से लिये जाने वाले समस्त कर/शुल्क इत्यादि का एक अंश संबंधित राजकीय विभागों द्वारा दिया जाए जो लगभग 10 प्रतिशत हो सकता है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण से प्राप्त आय का एक अंश, जो लगभग 10 प्रतिशत हो सकता है, दिया जाए साथ ही अवशेष 80 प्रतिशत का अंश उद्योग विभाग/सरकार द्वारा बजट में प्राविधान करके किया जा सकता है। उक्त रिवाल्विंग फण्ड को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिक ब्याज दर पर जमा किया जाए तथा इस ब्याज से होने वाली आमदनी को भी इस रिवाल्विंग फण्ड में पुनर्वासन पैकेज हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

अथवा

पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Rehabilitation Seed Support के रूप एक Rotating Fund सृजित किया जाना प्रस्तावित है। यह फण्ड उन रूग्ण इकाईयों को Soft Loan के रूप में 03 वर्षो हेतु छः माह के Mortarium Period के साथ छः प्रतिशत साधारण ब्याज के रूप में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मण्डलीय स्तरीय समिति की संस्तुति के पश्चात् दिया जायेगा। जिन सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को बैंको द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज के पश्चात् भी जो देनदारियां बकाया रह जाती है। जैसेः– मजदूरों का वेतन, अन्य स्थानीय कर इत्यादि।

इस फण्ड का सृजन राज्य सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया जायेगा। यह फण्ड प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाले ब्याज से बढ़ता भी जायेगा।

अथवा

पुनर्वासन पैकेज हेतु ऐसे Rotating Fund को सृजित किया जा सकता है। जो UNIDO, ADB एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से न्यूनतम ब्याज (1 से 2 प्रतिशत) की दर से ऋण प्राप्त कर Rehabilitation Seed Support फण्ड का विकास किया जा सकता है। इस फण्ड के प्रचालन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार होगी। इस फण्ड का रखरखाव उद्योग निदेशालय एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जायेगा।

IEDUP

चैप्टर – 03
रूग्णोन्मुखी इकाईयों की रोकथाम, प्रक्रिया एवं परामर्श बोर्ड का कार्य

3.0 रूग्णोमुखी इकाई घोषित करने की समय–सीमा एवं निराकरण प्रकिया

परिभाषाः– (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पत्र संख्याः **RPCD.Co.MSME & NFS.Be.04 / 06.02.31/ 2012-13 November 01, 2012)**

रूग्णोन्मुखी लघु औद्योगिक ईकाईयों को रूग्ण होने के पूर्व ही बैंक समयवद्ध एवं पर्याप्त सहायता Proactive Basis पर रूग्ण होने के लक्षण प्राप्त होते ही प्रारंभ कर देगी। इस स्थिति को भारतीय रिजर्व बैंक ने 'Hand-holding Stage' के रूप में परिभाषित किया है कोई भी ईकाई का ऋृण खाता निम्न किन्ही भी एक कारणों से 'Hand holding stage' की श्रेणी में होगा।

(अ). वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में प्रवर्तकों के नियंत्रण के बाहर के कारणों से छः महीनों से अधिक का विलम्ब होना।

(ब). इकाई को स्वीकृत सीमा के ऊपर दो वर्षो के लिये हानि अथवा एक वर्ष के लिए नकदी हानि।

(स). किसी वर्ष के दौरान मात्रा की दृष्टि से अनुमानित स्तर से 50 प्रतिशत से कम क्षमता उपयोग अथवा मूल्य की दृष्टि से अनुमानित स्तर से 50 प्रतिशत से कम बिक्री होना।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कोई भी रूग्णोन्मुखी ईकाई के उपरोक्त संकेतों के प्राप्त होते ही वित्तीय संस्था निवारक कार्यवाही करते हुये इकाई के लेखा पुस्तकों की स्क्रुटनी, सलाह/काउसिलिंग सेवा एवं समयानुसार वित्तीय सहायता एवं गैर वित्तीय समस्याओं के समाधान हेतु अन्य सबंधित संस्थाओं से सहायता एवं मार्गदर्शन दिलवाना होगा। 'Hand holding' सहायता हेतु उपरोक्त प्रकार की ईकाईयों को बैंक द्वारा अधिकतम् दो माह के भीतर चिन्हित कर सहायता प्रदान करेगी। रूग्णोन्मुखी इकाई की परिभाषा यदि भविष्य में आर.बी.आई द्वारा परिवर्तित की जाती है तो उल्लिखित परिभाषा स्वतः तद्नुसार परिवर्तित मानी जायेगी।

रूग्ण हो रही इकाईयों की संख्या विभिन्न कारणों से प्रत्येक वर्ष बढ़ रहीं है। जिससे जहां एक ओर प्रदेश सरकार का काफी धनराशि कर इत्यादि में फंसी हुई है। वहीं दूसरी ओर बैंको की भी पूंजी इन रूग्ण हो रहीं इकाईयों में Blocked है। अतः आवश्यक है कि इकाईयों को रूग्ण होने से पूर्व ही रोका जाये। **इस हेतु उद्योग विभाग द्वारा भी Proactive पहल करने की आवश्यकता है।** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्णोन्मुखी इकाईयों को रूग्ण होने से रोकने के लिए 'Hand Holding Stage' का उल्लेख किया है, तथा प्राइमरी लेन्डर (बैंक) कों इस अवस्था की जानकारी होते ही सलाह सुझाव इत्यादि की सुविधायें देने की बात कही है। इसी प्रकार प्राइमरी लेन्डर से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की ईकाई की सूचना प्राप्त कर इकाई को सहायता एवं परामर्श दिलवाने का कार्य करेंगे।

'Hand Holding Stage' में वर्णित तीनों स्थितियों के अतिरिक्त यह जरूरी है कि उद्यमी स्वयं जागरूक हो तथा अपनी इकाई को रूग्ण होने से बचाने के लिए तत्पर रहे। रूग्णोन्मुखी इकाईयों को रूग्ण होने से बचाने के लिए प्रत्येक इकाईयों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप पर जो उद्योग बन्धु के पोर्टल/रूग्ण इकाईयों हेतु विकसित पोर्टल/उद्योग निदेशालय की साइट पर उपलब्ध होगा। समस्त सूचनायें भरकर प्रत्येक माह अपलोड करेंगे। **इन समस्त सूचनाओं का उपयोग केवल इकाईयों को रूग्ण होने से बचाने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।**

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र प्राइमरी लेडर/ वित्तीय संस्था जिससे इकाई को वित्तीय सहायता प्राप्त हुयी है से सामंजस्य बैठाते हुए इस बात की जानकारी हासिल करेगा कि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन अथवा नकदी हानि के क्या कारण है कि जानकारी बैंको से प्राप्त करेंगे अथवा किसी भी अन्य प्रकार के उत्पादन की अनियमितता पाये जाने पर उसे Stressed Account (उत्पादन में विलम्ब अथवा नकदी हानि) की श्रेणी में आयेगा। इस स्तर पर महाप्रबंधक संबंधित इकाई से वांछित निम्न सूचनायें प्राप्त करेगा तथा प्राप्त

सूचनाओं के आधार पर जनपद स्तर पर गठित प्रबंधकीय प्रकोष्ठ, तकनीकी प्रकोष्ठ एवं वित्तीय प्रकोष्ठ में प्रस्ताव रखकर वांछित सलाह/सहायता दिलवाने हेतु प्रयास करेगा।

महाप्रबंधक एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोफार्मा का अध्ययन भी करेगा तथा उसमें इन्गित जो भी संकेतक यह संकेत देंगे की इकाई भविष्य में रूग्ण हो सकती है को तत्काल जनपद स्तरीय सेल से वांछित सहयोग लेने हेतु प्रेरित करेगा तथा सहयोग भी दिलायेगा। इस प्रकार की पहल से सम्भावित रूग्णता को रोकने में काफी सहयोग मिलेगा। प्रोफार्मा में शामिल किये जाने वाले सम्भावित बिन्दु निम्नवत् होंगे **आवेदन पत्र का सम्भावित प्रारूपः–**

i. स्वामी एवं इकाई की साधारण जानकारी मय पंजीकरण संस्था के साथ।
ii. स्थापित होने का वर्ष।
iii. उत्पादित वस्तुये एवं बाजार।
iv. कुल पूंजी निवेश।
v. कुल बिजनेस प्लान में दर्शाये गये लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति–उत्पादन लक्ष्य एवं बिक्री लक्ष्य।
vi. स्टाक का विवरण–परिसर में रखा भण्डार, विक्रय हेतु तैयार माल, अविक्रित माल।
vii. माहवारी देनदारियों की स्थिति–वेतन एवं मजदूरी, विद्युत का भुगतान, अन्य व्ययों का भुगतान, बैंक के ऋण भुगतान, करो का भुगतान इत्यादि।
viii. बैंक खातों में टर्नओवर की स्थिति।
ix. मशीन उपकरणों में कोई बड़ी खराबी, कारीगरों का हड़ताल, प्रबन्धन में परिवर्तन, निदेशक/साझेदारी की बीमारी अथवा मृत्यू, निदेशक/साझेदार में मतभेद, बैंक सीमा बढ़ाने का बार–बार अनुरोध। (यदि कोई)
x. बाजार स्थिति– मूल्य में एकाएक गिरावट, आयात–निर्यात, मूल्य निर्धारण, इकाई में सरकारी नीतियों के कारण परिवर्तन।
xi. अन्य कोई–कार्यशील पूंजी की कमी, अल्पअवधि फण्ड का दीर्घावधि फण्ड में परिवर्तन, विद्युत आपूर्ति।

3.1 रूग्णता रोकने की प्रक्रिया एवं जनपदीय स्तर प्रकोष्ठ के सदस्य

प्रत्येक जनपद में स्थापित हो रही नई इकाई अथवा पूर्व में सफलतापूर्वक चल रही इकाई उपरोक्त वर्णित प्रोफार्मा पर स्वेच्छा से प्रत्येक माह ऑनलाइन सूचनायें अपलोड करेगा। अपलोड न करने की स्थिति में प्रारूप को भरकर जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेगा। महाप्रबंधक द्वारा बैंको से प्राप्त रूग्णोन्मुखी हो रही इकाइयों के प्राप्त संकेतों के आधार पर जनपद रतरीय गठित प्रबंधकीय, तकनीकी एवं वित्तीय सेल में इस प्रकरण को रखकर वांछित सहयोग दिलवायेगा।

यह प्रकोष्ठ जनपद में स्थित उत्कृष्ट इंजीनियरिंग/प्रबंधकीय संस्थान में स्थापित होंगे जहां पर इस परामर्श प्रकोष्ठ का गठन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा करवाया जायेगा।

1. **प्रबंधकीय एवं वित्तीय प्रकोष्ठः**
   इस प्रकोष्ठ के गठन का मुख्य उद्देश्य रूग्णोन्मुखी इकाई के रूग्ण होने के संकेत प्राप्त होते ही किसी भी प्रकार की प्रबंधकीय एवं वित्तीय सलाह दिये जाने का दायित्व दिया जाता है। इस प्रकोष्ट में उद्यमी के अतिरिक्त निम्न सदस्य होंगे।
   अ. संस्था के प्रबंधकीय विषय विशेषज्ञ
   ब. औद्योगिक एसोशिएशन का प्रतिनिधि
   स. चार्टेड वित्तीय विश्लेषक
   द. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव

प्रबंधकीय एवं वित्तीय प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यकतानुसार एक निश्चित समयावधि के भीतर अपनी सलाह एवं परामर्श इकाई के स्वामी को देगी जिससे रूग्णोन्मुखी इकाई को रूग्ण होने से पूर्व ही बचाया जा सके।

IEDUP

2. **तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ:**

इस प्रकोष्ठ का गठन जनपद में स्थित उत्कृष्ट इंजीनियरिंग संस्था में किया जायेगा। इस प्रकोष्ट का मुख्य कार्य रूग्णोन्मुखी इकाइयों से प्राप्त संकेतों के अध्ययन के पश्चात यदि किसी प्रकार के तकनीकी, सहयोग अथवा परामर्श की आवश्यकता होगी तो महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र इस प्रकोष्ट के माध्यम से तकनीकी समस्याओं का निराकरण करवाने में सहयोग करेंगे जिससे रूग्णता को रोका जा सके। इस प्रकोष्ठ में उद्यमी के अतिरिक्त निम्न सदस्य होंगे।

अ. संस्था के इंजीनियरिंग विषय विशेषज्ञ– यांत्रिकी, इलैक्टीकल, इलेक्टानिक्स, डिजाइन इत्यादि।

ब. औद्योगिक एसोसिएशन का प्रतिनिधि

स. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव

उपरोक्त तीनों प्रकोष्ट को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संबद्धता दी जायेगी जिससे इंजीनियरिंग एवं प्रबंधकीय संस्थान अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से Industries – Institution Partnership Cell (IIPC) को बढ़ावा मिलेगा तथा भविष्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की इकाईयों को बेहतर मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त होगा। इस सेल का गठन उत्कृष्ठ इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धकीय संस्थानों में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से किया जायेगा तथा इस सेल में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संस्थान के शोध एवं परामर्श विशेषज्ञ तथा स्थानीय एसोसिएशन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इस सेल के गठन से कॉलेज के छात्र, छात्राओं को भी उद्यम स्थापना प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त होगी।

3.2 वित्तीय, प्रबंधकीय एवं तकनीकी प्रकोष्ट के गठन पर आने वाला व्यय तथा परामर्श शुल्क

हैण्ड होल्डिंग स्टेज पर रूग्णता को रोकने हेतु उपरोक्त प्रकोष्ट का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें इंजीनियरिंग एवं प्रबंधकीय संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त एवं चार्टेड वित्तीय विश्लेषक का पैनल होगा। प्रकोष्ट का गठन स्वेच्छा से इच्छुक संस्थानों के सहयोग से महाप्रबंधक की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गठित किया जायेगा। **प्रकोश्ट के गठन एवं क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक फण्ड की व्यवस्था की जायेगी (चर्चा प्रस्तावित)** तथा इस बोर्ड से लाभ लेने वाली इकाईयों को दो वर्ष के पश्चात् यदि पुनः किसी प्रकार की सलाह अथवा सहायता प्राप्त करनी है तो इस हेतु उसे निम्नानुसार एक निश्चित धनराशि परामर्श प्रबंधकीय एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं को निम्नवत प्रकार से देनी होगी जिससे यह प्रकोष्ट सुचारू रूप से निरंतर अपनी सेवायें रूग्णता को रोकने के लिए प्रदान करता रहे।

1. यदि इकाई का कुल निवेश रू0 25.00 लाख तक है तो रू0 10,000.00
2. यदि इकाई का कुल निवेश रू0 25.00 से रू0 50.00 लाख तक है तो रू0 25,000.00
3. यदि इकाई का कुल निवेश रू0 50.00 लाख से रू0 01.00 करोड़ तक है तो रू0 35,000.00
4. यदि इकाई का कुल निवेश रू0 01.00 से रू0 05.00 करोड़ तक है तो रू0 45,000.00
5. यदि इकाई का कुल निवेश रू0 05.00 करोड़ से अधिक है तो रू0 55,000.00

3.3 रूग्णता रोकने हेतु प्रचार–प्रसार

रूग्णता रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा **इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया** पर निरन्तर प्रचार–प्रसार रूग्णता रोकने हेतु किया जायेगा। जिसे इकाईयों को जागरूक किया जा सके और वे समय रहते ही इकाई के रूग्ण होने से बचा सके। साथ ही जनपद स्तर पर **कार्यशालाओं का आयोजन** भी किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय उद्यमीयों को जागरूक करने हेतु आमंत्रित भी किया जायेगा। इस पर आने वाले **समस्त व्ययों का वहन उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा।**

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक सं0 RPCD.MSME & NFS.BC No. 74/06.02.31/2012-13 दिनांक 09 मई 2013 के अनुसार Structured Mechanism for Monitoring the Credit Growth to

MSME Sector के B भाग में Credit Proposal Tracking System (CPTS) के अनुसार सभी बैंको को अपनी शाखा में प्राप्त ऋण आवेदनों को CPTS पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिससे ऋण आवेदन पत्रों की अद्यतन स्थिति शाखा/मण्डल/बैंको के मुख्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग की जा सकती है। इस व्यवस्था से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र भी शाखाओं से ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति निस्तारण की स्थिति, तथा निस्तारण के बाद प्रगति की स्थिति को जान सकते है। इस CPTS व्यवस्था की जानकारी हेतु समस्त स्टेक होल्डर को (उद्यमी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, बैंको के अधिकारी इत्यादि को जागरूकता प्रदान करने हेतु व्यापक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन आर0बी0आई0 के सहयोग से प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ द्वारा किया जायेगा।

3.4 रूग्णता रोकने हेतु नई इकाईयों से अपेक्षित अनिवार्य अंगीकृत कार्य

(i). रूग्णता रोकने हेतु जनपद में स्थापित हो रही प्रत्येक नई इकाई को अनिवार्य रूप से **हस्तशिल्प कारीगरों की तर्ज पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित "माइक्रो इन्श्योरेन्स योजना"** को नई इकाई स्थापित करने पर अपने **श्रमिकों हेतु पालिसी** लेगी तथा इसके प्रीमियम का **भुगतान का 10 प्रतिशत अंशराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।** इस 10 प्रतिशत अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उन इकाईयों को किया जायेगा जो इकाईयां 03 वर्षो तक इस पॉलिसी का संचालन निरन्तर करेंगी। इस अशं धनराशि का बजट प्रावधान विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। इस हेतु श्रम विभाग के पास श्रमिको के कल्याण हेतु उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की इन्श्योरेन्स पॉलिसी कुछ निजी अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा भी भारतवर्ष में लघु इकाईयों हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ii). **सेक्शन 25 एफएफएफ के अन्तर्गत "जॉब लॉस पालिसी"** भी नई इकाई द्वारा इकाई स्थापित करते समय लेगी तथा इसके प्रीमियम का 75 प्रतिशत इकाई का प्रवर्तक स्वयं वहन करेगा तथा शेष 25 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

(iii). जनपद में स्थापित हो रही प्रत्येक नई इकाई को बैंको से ऋण प्राप्त करते समय CGTMSI के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। जिससे की भविष्य में यदि इकाई को किसी प्रकार की वित्तीय समस्या आती हो तो उसका ऋण इस योजना के तहत सुरक्षित रहेगा।

चैप्टर – 04

एक्जिट पॉलिसी

(एमएसएमई एक्ट 2006 के चैप्टर–5 का प्रस्तर 25 पर एक वर्ष के अन्दर भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है जो अभी प्रतीक्षित है।)

यदि कोई इकाई रूग्ण होने पर पुनर्वासन पैकेज के भी योग्य नहीं पाई जाती है तथा उद्यमी उसको सम्पूर्ण रूप से बन्द करना चाहता है तो Exit करने की पूरी छूट होगी।

इस हेतु एक **स्पेशल परपज ग्रुप (SPG)** का गठन किया जाये जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0 शासन, एसोसिएशन, बैंक के प्रदेश अधिकारी तथा अन्य संस्थाओं के अधिकारी को शामिल किया जाय। इस एस.पी.जी. का मुख्य कार्य पुनर्वासित नहीं की गयी रूग्ण इकाइयों को **एक्जिट** करने हेतु अनुमति प्रदान करना तथा रूग्ण इकाईयों की समस्त देनदारियों के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारण करना होगा। दो माह पर एस0पी0जी0 अपनी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करेगी जिससे कार्यो को गति प्रदान की जा सके।

आवेदन प्रक्रिया

पुनर्वासन पैकेज हेतु अयोग्य घोषित एवं बन्द पड़ी इकाई अपना आवेदन एक्जिट करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

एक्जिट प्रक्रिया

ऐसी इकाई जो पुनर्वासन पैकेज के योग्य नहीं हैं तथा उसका रिवाइवल नहीं किया जा सकता इसकी सूचना महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बन्द इकाई को प्रेषित करेंगे। एक्जिट हेतु निर्णय गठित समिति द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षण कर संस्तुति सहित मण्डलीय स्तरीय पुनर्वासन/एक्जिट समिति को अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से अग्रसारित करेगी।

एक्जिट हेतु मण्डल स्तरीय पुनर्वासन/एक्जिट समिति अपनी संस्तुति के साथ एस.पी.जी. को अग्रसारित करेगी। जिस पर एस.पी.जी. द्वारा निर्णय लेते हुए बन्द इकाई को आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जिसके आधार पर इकाई, बैंक/वित्तीय संस्था, एवं इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से उपलब्ध भूमि/भवन/ मशीन/स्टाक का मूल्यांकन आदि इस्टीमेटर वैल्यूअर (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से करवाकर एस0.पी0जी0 को सूचित करते हुए अपनी इकाई को "जहॉ जैसी हालत में है" बेंचकर सभी देनदारियों को चुकता करेगा तथा इस प्रक्रिया के बाद जो भी अवशेष अतिरिक्त धनराशि होगी वह संबंधित इकाई की होगी।

इस प्रक्रिया के पश्चात् इकाई भविष्य में पुनः अपना नया व्यवसाय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से प्रारम्भ कर सकती है।

यदि इकाई को "जहॉ जैसी हालत में है" की दशा में बेचने के उपरान्त देनदारियॉ ज्यादा होती हैं तो बची हुई (बकाया धनराशि को क्रेडिट गारन्टी योजनान्तर्गत (CGTMSE) समायोजित किया जाए। यह शर्त उन्ही इकाईयों पर लागू होगा जिन्होने CGTMSE के अन्तर्गत ऋण प्राप्त किया होगा) बची हुई धनराशि है तो उसे **राज्य सरकार द्वारा Right off किया जाए (चर्चा का विषय)** तथा इस धनराशि के भुगतान व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा।

श्रमिको का अवशेष भुगतान इकाई कुल बकाया धनराशि का एक–तिहाई प्रत्येक तीन माह के अन्तराल से तीन वर्षों में ब्याज मुक्त अवशेष धनराशि श्रमिक को देगा। एक्जिट प्रक्रिया के दौरान "लैण्ड रेवन्यू एक्ट" के अधीन इकाई की रिकवरी की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये। साथ ही "जमीदारी उन्मूलन एक्ट" के तहत भी इकाई का उत्पीडन स्थगित रखा जायेगा।